(75)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
स्मक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1492—एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 05—05—2016 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 206/2012—13/अपील

.....

गजेन्द्र सिंह पुत्र केदार सिंह
निवासी—ग्राम परौसा, तहसील मेंहगांव
जिला—भिण्ड, म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

ओमवती पत्नी श्री जसवंत
निवासी—ग्राम परौसा, तहसील मेंहगांव
जिला—भिण्ड, म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक,

.....

आदेश

(आज दिनांक 6-2-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05—05—2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम परौसा तहसील मेंहगांव, जिला—भिण्ड स्थित भूमि सर्वे नंबर 1407 रकबा 0.23 के भाग 1/5 रकबा 0.03 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 1408 रकबा 0.36 सम्पूर्ण के भूमिस्वामी मृतक थान सिंह पुत्र भूरे सिंह थे। आवेदक द्वारा उक्त भूमि को विक्रय विलेख क्रमांक 1472 दिनांक 07.08.2004 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया था। आवेदक द्वारा मौजा पटवारी को नामांतरण हेतु

आवेदन–पत्र दिया गया था। पटवारी द्वारा सर्वे क्रमांक 1408 रकबा 0.36 हैक्टेयर का नामांतरण कर दिया। सर्वे क्रमांक 1407 रकबा 0.03 हैक्टेयर का नांमांतरण छोड़ दिया। इसी दौरान मृतक थान सिंह द्वारा अनावेदक को सर्वे क्रमांक 1407 की भूमि रकबा 0.03 हैक्टेयर का विक्रय सन् 2009 में कर दिया। अनावेदक द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत परौसा के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पंजी क्रमांक 24 दिनांक 26.01.2009 को विक्रय पत्र के आधार पर विवादित भूमि का नामांतरण करा लिया। आवेदक को उक्त नामांतरण की जानकारी उस समय हुई जब आवेदक अपनी ऋण पुस्तिका लेने हेतु सन् 2012 में पटवारी के पास गया, तब उसके द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि पर अनावेदक का नामांतरण हो चुका है। आवेदक द्वारा पंजी की नकल प्राप्त कर दिनांक 20.03.2012 को अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव जिला–भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 93/2011–12/अपील पर दर्ज की गई। अपील के साथ धारा 05 अवधि विधान का आवेदन मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को अवधि बाह्य मानते हुये दिनांक 05.03.2013 को आदेश पारित करते हुये अपील निरस्त की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 206/2012–13/अपील पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 05.05.2013 को निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक ने अपनी निगरानी आवेदन में तथ्यों एवं आधारों का जो वर्णन किया है उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है । आवेदक के अभिभाषक के मुख्य तर्क इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के विरूद्ध एवं अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक द्वारा मृतक थान सिंह से सर्वे क्रमांक 1407 रकबा 0.30 हैक्टेयर के हिस्सा भाग 1/5 रकबा 0.03 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 1408 रकबा 0.36 हैक्टेयर सम्पूर्ण को विक्रय विलेख क्रमांक 1472 दिनांक 07.08.2004 को क्रय किया था। एक ही विक्रय विलेख सम्पादित किया गया । आवेदक द्वारा विक्रय विलेख की प्रति सहित पटवारी को नामांतरण हेतु आवेदक पत्र दिया गया था, परन्तु पटवारी द्वारा सर्वे क्रमांक 1408 रकबा 0.36 हैक्टेयर का नामांतरण आवेदक के नाम खसरे में दर्ज किया गया । किन्तु सर्वे क्रमांक 1407 का नामांतरण तथा खसरे में प्रविष्टि छोड़ दी।

विक्रेता थान सिंह द्वारा सन् 2009 में सर्वे क्रमांक 1407 रकबा 0.03 हैक्टेयर का विक्रय पत्र अनावेदक के नाम कर दिया । पूर्ववर्ती विक्रय विलेख के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी एवं अधीनस्थ न्ययालय को नामांतरण का आदेश आवेदक के पक्ष में पारित करना चाहिये था। संहिता की धारा 109–110 नामांतरण का प्रभाव एक ही भूमि के दो विक्रय विलेख विक्रेता को पुनः विक्रय का अधिकारी नहीं–ऐसे विक्रय विलेख के आधार पर पश्चातवर्ती नामांतरण कोई प्रभाव नहीं रखता। इस संबंध में 2010 रा0नि0 पेज 315 सुनील कुमार विरूद्ध ओमप्रकाश शर्मा (उच्च न्यायालय) अवलोकनार्थ हेतु प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालया द्वारा विक्रय विलेख का परीक्षण किये बगैर जो आदेश पारित किया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत परोसा द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 24 दिनांक 26.01.2009 से प्रश्नाधीन भूमि पर विक्रेता थानसिंह के स्थान पर क्रेता अनावेदिका ओमवती के हक में नामांतरण प्रमाणित किा गया । उक्त नामांतरण प्रमाणीकरण दिनांक 26.01.2009 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव के समक्ष अपील दिनांक 20.03.12 को प्रस्तुत की गई। अपील मेमों के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब को क्षमा करने बावत् अवधि विधान की धारा 05 के तहत आवेदन मय शपथ–पत्र के प्रस्तुत किया गया । आवेदक द्वारा उक्त आवेदन पत्र में जानकारी का श्रोत दिनांक 15.01.2012 को पटवारी मौजा से होना उल्लेख किया गया है। जानकारी दिनांक 15.01.2012 के संबंध में आवेदक द्वारा न तो अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष, न ही अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष और न ही इस न्यायालय में कोई ऐसा ठोस आधार अथवा दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया कि जिसके कारण आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 में लिखे गये तथ्यों को बल प्राप्त होता हो। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव एवं आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा साक्ष्य के अभाव में आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के तहत प्रस्तुत आवेदन–पत्र निरस्त कर अपील को अवधि बाह्य माना है। इस

प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित न होने के कारण उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

6/ अतएव उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मेंहगावं द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2013 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2016 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है। फलतः निगरानी निरस्त की जाती है। आवेदक चाहे तो अपने स्वत्व एवं आधिपत्य के समर्थन में सक्षम न्यायालय में आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो। अभिलेख वापिस हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर